क्रम-संख्या — 15 (ख–1)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 29 जनवरी, 2013
माघ 9, 1934 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन अनुभाग
संख्या–: 55 /तीन–2013
लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

प0आ0–666

कार्यालय ज्ञाप संख्या–1333/तीन–2012, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 द्वारा निर्गत राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये मा0 मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय को कोटिक्रम संख्या 8अ पर रखते हुये मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के समतुल्य तथा मा0 उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशगण को कोटिक्रम संख्या–17अ पर रखते हुये उत्तर प्रदेश के कैबिनेट स्तर के मा0 मंत्रीगण के समकक्ष स्तर प्रदान किया जाता है।

2– उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30 नवम्बर, 2012 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। संशोधित 'राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र' की प्रति संलग्न है।

उत्तर प्रदेश का संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र

कोटिक्रम (1)	पदनाम (2)
4	राज्यपाल
8	मुख्यमंत्री
8—अ	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16	विधान परिषद के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष
16—अ	लोक आयुक्त
17	राज्य के मंत्रीगण
17—अ	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण, नेता विरोधी दल, (विधान परिषद/विधान सभा)
19	उप सभापति, विधान परिषद, उपाध्यक्ष, विधान सभा, राज्य के राज्य मंत्री,
20	उप मंत्री, महापौर—अपने क्षेत्र में
20—अ	अध्यक्ष, जिला परिषद (अपने क्षेत्र में), अध्यक्ष, नगर पालिका (अपने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22—अ	विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24—अ	अध्यक्ष, राजस्व परिषद
25	लैफ्टीनेन्ट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य, राजस्व परिषद, अध्यक्ष, लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त, उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य, न्यायिक राजस्व परिषद, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी,
30	राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम संख्या 15 में सम्मिलित नहीं है), भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष
31	जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी

आज्ञा से,
विजय प्रताप,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी 738 राजपत्र-(हिन्दी)-2013-(3235)-599 प्रतियां-(कम्प्यु0/टी/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0-ए0पी 52 सा0 प्रशासन-2013-(3236)-200 प्रतियां-(कम्प्यु0/टी/आफसेट)।

प्रेषक,

विजय प्रताप,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग — लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2013

विषय : राज्य का सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सामान्य प्रशासन अनुभाग के पत्रांक–1334/तीन–2012 – 72(1)/91, दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के क्रम में संशोधित 'राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र' की प्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

भवदीय,

(विजय प्रताप)
विशेष सचिव।

संख्या–: 56 (1)/तीन–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1– सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2– सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव।
3– संघ शासित क्षेत्रों के सरकारों/प्रशासनों को।

संख्या–: 56 (2)/तीन–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पथ प्रदर्शन हेतु प्रेषित :–

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2– सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4– निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

संख्या—: 56 (3)/तीन—2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :—

1— समस्त मंत्रियों के निजी सचिवों को मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
2— समस्त राज्य मंत्रियों के निजी सचिवों को राज्य मंत्री महोदय के सूचनार्थ।
3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप)
विशेष सचिव।